प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29-08-2022

विषय- जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26873/सामा-1(8)/96/उन्नाव, दिनांक 18-08-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध निम्नलिखित 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0सं0 | बंदी का नाम/पिता का नाम | वर्तमान निरूद्धि | कारागार का नाम, जहां स्थानान्तरित किया जाना है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | विचाराधीन बंदी अरूण कुमार सिंह उर्फ रजोल पुत्र स्व0 फतेहबहादुर | जिला कारागार, उन्नाव | केन्द्रीय कारागार, आगरा |
| 2 | विचाराधीन बंदी सूरज सिंह पुत्र श्री लाल सिंह | जिला कारागार, उन्नाव | केन्द्रीय कारागार, बरेली-।। |

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2 निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव/आगरा/बरेली।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा/बरेली/उन्नाव।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/बरेली-।।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, उन्नाव से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in